

**संचालनालय आयुष, म०प्र०**  
(भू-तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in  
E-mail: jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931  
Fax (0755) 2760225

दिनांक : २६/११/२०२५

-सूचना-

-स्नातक स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड काउंसिलिंग संशोधित कार्यक्रम (स्टेट कोटा)-

-बी ए एम एस/बी एच एम एस/बी यू एम एस/बी एन वाय एस-

म०प्र० आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2024 एवं संशोधन नियम-2025 म०प्र० प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम -2024 एवं संशोधन-2025 में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग/म०प्र० शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही एम०पी० ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न कराये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

2/ स्नातक स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड के कार्यक्रम में निम्नानुसार समय-सीमा में वृद्धि की जाती है:-

| क्रमांक | विवरण                          | दिनांक एवं समय                                                                                               |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | महाविद्यालय में अस्थायी प्रवेश | दिनांक 29/11/2025 प्रातः 09:00 बजे से 05:00 बजे तक एवं<br>दिनांक 30/11/2025 प्रातः 09:00 बजे से 05:00 बजे तक |

नोट:-

- 1- स्नातक स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की 28/11/2025 सायं 07:00 बजे तक उपस्थित अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के उपरांत महाविद्यालयों की रिक्त रह गई सीटों हेतु पूर्व में रिपोर्टेड (उपस्थित) अभ्यर्थियों की पर्यवेक्षकों द्वारा दिनांक 26/11/2025 को तैयार एवं महाविद्यालय के सूचना पटल/वेबसाइट/पोर्टल पर प्रदर्शित मेरिट सूची में से मेरिट क्रम अनुसार महाविद्यालयों की रिक्त रह गई सीटों में दिनांक 29/11/2025 एवं 30/11/2025 को उपस्थित अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश की कार्यवाही संपादित की जावेगी।
- 2- नियम/निर्देशों एवं किसी भी प्रकार के अपडेट/संशोधन हेतु विभागीय वेबसाइट <https://ayush.mp.gov.in> एवं एम०पी० ऑनलाइन पोर्टल <https://ayush.mponline.gov.in> का सतत अवलोकन करते रहें।

आयुक्त द्वारा निर्देशित

  
प्र०उप संचालक  
संचालनालय आयुष म०प्र०